न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 169 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/182)
पंजीयन दिनांक– 18.03.2021
निर्णय दिनांक– 15.11.2021

1. श्रीमती नानी बाई पुत्री जोधा मीणा, निवासी नरसाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री कालुलाल पिता जगदीश आंजना, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेड़ा के
प्रकरण संख्या 162 / 2014 निर्णय दिनांक 23.05.2017

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेड़ा के प्रकरण संख्या 162 / 2014 निर्णय दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध

दिनांक 17.07.2017 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 एल.आर. एक्ट एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की पैत्रिक आराजीयात वाके मौजा नरसाखेड़ी की नवीन खाता संख्या 72 की आराजी नम्बर 592 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अपीलांट के पिता का नाम जोधा पिता मगना मीणा है, जिनके खातेदारी में पुराने आराजी नम्बर 475/326 रकबा 5 बीघा भूमि थी जिसके नई पैमाईश में नये आराजी नम्बर 592 रकबा 1.2600 हैक्टेयर बने। अपीलांट मौके पर जहां स्थित है उसके पश्चिम दिशा में पड़त सरकारी जमीन स्थित है जिसके पुराने आराजी नम्बर 461/326 रकबा 5 बीघा है। मौके पर उक्त आराजी पश्चिम दिशा में स्थित है, परन्तु नई पैमाईश में राजस्व नक्शा में उक्त आराजी जिसके नये नम्बर 591 रकबा 1.2600 हैक्टेयर है को मुख्य रास्ता सड़क के पास जहां पूर्व में सरकारी बिलानाम भूमि थी, वही पर अंकित कर दिया है जो गलत है। इसका सही अंकन मौके पर स्थित तलाई जिसके आराजी नम्बर 587 है, के उत्तर दिशा में होना चाहिए, अतः पूर्वानुसार नक्शें में तरमीम की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 162/2014 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 23.05.2017 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.05.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"चूंकि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,***

1955 के अंतर्गत राजस्व रेकार्ड में संशोधन के प्रार्थना पत्रों पर विचारण किया जाता है जो एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जबकि घोषणात्मक सहायता के दावे में सभी तथ्यों एवं सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत, साक्ष्य व गवाही के बाद, गुण अवगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रश्नगत आराजी के संबंध में घोषणा का दावा इसी न्यायालय में विचाराधीन है, धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 के तहत विचारण किया जाना उचित नहीं है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थीया के कथनों की ताईद नही होती है। प्रकरण संक्षिप्त विचारण योग्य नहीं होने से सही स्थिति वाद के विचारण में ही प्रकट होगी, जहां प्रार्थीया को अपने पक्ष को साबित करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.11.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर साबिक एवं हाल नक्शा तथा रिपोर्ट भी उपलब्ध थी, जिससे स्पष्ट था कि हाल नक्शा साबिक के मुकाबले से कुछ हटकर है और जिसकी रिपोर्ट भी मंगवाई गयी थी, उक्त सभी तथ्यों से यह पूर्णत साबित था तथा मानने योग्य था कि राजस्व नक्शे में साबिक के मुकाबले हाल नक्शे में तरमीम हुई है। अधीनस्थ

न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया कि अपीलांट द्वारा घोषणा का वाद पेश कर रखा है और जिसमें साक्ष्य सबूत से न्याय निर्णय किया जाना है तथा दुरस्ती के प्रार्थना पत्र में समरी ट्रायल चलती है, इसलिए अपीलांट के अधिकार मूल वाद में ही तय हो सकेंगे, धारा 136 में नहीं हो सकेंगे, का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि घोषणा का वाद अपीलांट द्वारा बिलानाम सरकार जमीन पर जो लम्बे समय से कब्जा है, जिसके बाबत पेश कर रखा है, न कि उसमें इन्द्राज दुरस्ती के बाबत ही चला रखा है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट प्रार्थियां द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2017 की आदेशिका से तहसीलदार को मौका रिपोर्ट हेतु पुनः लिखे जाने की आदेशिका अंकित की है। दिनांक 01.05.2017 की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है तथा आगामी तिथि 27.06.2017 तय की गयी। दिनांक 27.06.2017 की पेशी के स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत पेशी से पृथक दिनांक 23.05.2017 को पत्रावली को लोक अदालत में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में, उसे सूचित किये बिना व सुने बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया है जो प्रथमतया प्राकृतिक

न्याय के विरूद्ध है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आधार पर अपीलाण्ट का आवेदन निरस्त किया गया, उसमें यह वर्णित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा धारा 88 के तहत घोषणा का दावा भी पेश कर रखा है, अतः 136 की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है तथा मौका रिपोर्ट के आधार पर भी प्रकरण चलने योग्य नहीं बताया है। वहीं हम अपीलाण्ट द्वारा किये गये कथनों, जिसमें वह यह वर्णित करती है कि उसने जो वाद प्रस्तुत कर रखा है, वह विवादित आराजीयात से संबंधित नहीं है तथा मौका रिपोर्ट में भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि साबिक नक्शा एवं हाल नक्शे की तुलना होकर तरमीम उसके पूर्वानुसार नक्शे के अनुसार ही हुई है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय यानि की सुनवाई के अवसर के बिना हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस वाद का वर्णन किया है, उक्त वाद की विषय वस्तु की जांच नहीं की है तथा मौका रिपोर्ट में भी साबिक व हाल नक्शों की तुलना किये बिना प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सरसरी निर्णय पारित किया है जो अनुचित है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर लम्बित वाद की विषय वस्तु को देखते हुए तथा मौके की गत व वर्तमान तरमीम के अनुसार नक्शों की जांच कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर